संख्या- 84 /2018/ 4044/अड़तीस-5-2018-14 बजट/2018

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुन्देलखण्ड, बिन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या- 1217/ ई-2(बजट) /2018'19 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से योजनान्तर्गत प्राक्कलन के विरचन के कार्य, फिजिविलिटी एवं प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य एवं निर्माण कार्यो हेतु कुल रू0 7500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अनुदान संख्या- 13 के अन्तर्गत निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बुन्देलखण्ड, बिन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत कन्सलटेन्ट के चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित प्राक्कलन के विरचन के कार्य, हेतु रू0 2930.00 लाख तथा फिजिविलिटी एवं प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य रू0 70.00 लाख अर्थात कुल रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) की धनराशि वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत निम्नलिखित विवरण/शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-2638/अडतीस-5- 2018-87 सम/2017 दिनांक 25 जुलाई, 2018 द्वारा जारी "बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना" के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(2) कन्सलटेन्ट का चयन, प्राक्कलन विरचन, योजना के प्राथमिक सर्वेक्षण तथा योजना की फिजिविलिटी, चेक का कार्य इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का न्यूनतम व्यय सुनिश्चित हो सके।

(3) योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रत्येक स्तर पर वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(4) धनराशि का व्यय गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं मानक के अनुरूप हों, इसके लिए अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनवरत रूप से सर्वेक्षण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजना का क्रियान्वयन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जायेगा।

(6) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की स्वीकृति नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/परियोजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(7) परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिस निमित्त स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय स्वीकृति की सीमा तक सीमित होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/ उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढ़ग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

ओ.2

(11)स्वीकृत परियोजना/ कार्य में द्विरावृति से बचने के लिए कार्य के प्रारम्भ एवं कार्य की समाप्ति पर वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

(12)निर्माण कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों/ मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा तथा कराये गये कार्यो का अलग से लेखा-जोखा रखा जायेगा। अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(13)नियमानुसार यथावश्यक समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14)उक्त वित्तीय स्वीकृति में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस- 2018-231/ 2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15)अवमक्त धनराशि का निर्धारत प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, प्रयागराज/ ग्राम्य विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(16)प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय सलाहकार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि पूर्व में प्रश्नगत धनराशि या इसका कोई अंश अवमुक्त तो नहीं किया गया है।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक/ वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-08-बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0 ई-2- 1061/दस-2018 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अच्छे लाल सिह यादव)
विशेष सचिव।

संख्या: 84 /2018/4044(1)/अड़तीस-5-2018-27 बजट/2017, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन, लखनऊ।
(7) नियोजन अनुभाग-4 / ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
(9) विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासनं।
(10)गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अच्छे लाल सिह यादव)
विशेष सचिव।